घन राशि विकसित प्लाट की लागत , 30-40 परिवारों के समूह के लिए एक कुंए की व्यवस्था करना, सम्पर्क मार्ग बनाने और भवन निर्माण सामग्रियों के लिए सहायता के बतौर है । इस कार्यक्रम से यह सभी श्रम निवेश की व्यवस्था लाभ भोगियों द्वारा की जाने की अपेक्षा है ।

**जिला मुख्यालय और बिहार राज्य की राजधानी के बीच सीधा टेलीफोन सम्पर्क**

3246. **श्री विजयकुमार यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के ऐसे जिला मुख्यालय, जहां राज्य की राजधानी के साथ सीधा टेलीफोन सम्पर्क नहीं है, भारतीय असुविधा और कठिनाइयों का अनुभव कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे जिला मुख्यालयों और राज्य की राजधानी के बीच सीधा टेलीफोन सम्पर्क उपलब्ध कराने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन)** : (क) बिहार के सभी मुख्यालयों को राज्य की राजधानी से सीधा टेलीफोन लाइन सेवा प्राप्त है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**बिहार में डाक घर**

3247. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं और उन में से कितने पंचायत मुख्यालयों में अब तक डाक घर खोले जा चुके हैं;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार का बिहार में कितने नए डाक घर खोलने का विचार है; और

(ग) बिहार में ऐसे कुल कितने शाखा डाक घर हैं, जिन्हें उप डाक-घरों में परिवर्तित कर दिया जाएगा और ऐसे कितने उप-डाक-घर हैं, जिन्हें पूर्ण डाकघरों में बदल दिया जाएगा ?

**संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन)** (क) बिहार में ग्राम पंचायतों की संख्या 10,916 है । 7628 ग्राम पंचायतों के मुख्यालयों में डाकघर खोल दिए गए हैं ।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार में खोले जाने वाले प्रस्तावित नये डाक-घरों की संख्या लगभग 400 है । 1980-85 की अवधि के लिए तैयार की जा रही नयी पंचवर्षीय योजना के आधार पर इस संख्या में संशोधन किया जा सकता है ।

(ग) शाखा डाक घरों का दर्जा बढ़ाकर उप-डाकघर बनाने और उप-डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर मुख्य डाकघर बनाने का कार्यक्रम इस योजना के अंतर्गत नहीं लिया गया है । ऐसे मामलों में समय समय पर कार्यभार वितरण कार्यकरण आदि जैसे घटकों के संदर्भ में विचार किया जाता है और जिन मामलों का औचित्य पाया जाता है उनका दर्जा बढा दिया जाता है ।

**Change in Name of Institute for Physically Handicapped, New Delhi**

3248. SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is great resentment among the staff of the Institute for the Physically Handicapped, 4, Rouse Avenue Lane, New Delhi-1, after it has been taken over by Government;

(b) why the name of the Institute has been changed from Jawaharlal Nehru Institute of Physical Medicine and Rehabilitation to Institute for the Physically Handicapped;

(c) whether the students of Physio Therapy and Occupational Therapy of the Institute have demanded that the name should be changed and if so, what action has been taken; and

(d) whether the Institute is working as a subordinate office or autonomous body?

THE MINISTER OF EDUCATION AND HEALTH AND SOCIAL WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND): (a) No, Sir. Recently, the students of the Institute had staged some agitation in support of their demands mainly for the reinstatement of one of the employees who had been discharged from service. The employee